

03

प्राथमिक शिक्षण संस्था 1 लगभग 3 व 5 लगभग 8 स्वयं उपस्थित होकर पर्यवेक्षण किया जाकर विपक्षीयता को बहाल किया जाये। नोटिस की प्रतिलिपि प्राथमिक शिक्षण संस्था 18.04.2022 को प्रेषित की जाये।

प्राथमिक शिक्षण संस्था 1 लगभग 3 व 5 लगभग 8 स्वयं उपस्थित होकर पर्यवेक्षण किया जाकर विपक्षीयता को बहाल किया जाये। नोटिस की प्रतिलिपि प्राथमिक शिक्षण संस्था 18.04.2022 को प्रेषित की जाये।

निर्णय

दिनांक 14.05.2022

प्राथमिक शिक्षण संस्था

1. दिनांक 14.05.2022
उपस्थित

प्राथमिक शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए

विपक्षीयता

1. अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए
2. अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए
3. अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए
4. अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए
5. अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए
6. अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए
7. अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए
8. अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए

बनाम

प्राथमिक शिक्षण संस्था

1. अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए

अन्य

संख्या: 66/2022 (154) प्राथमिक शिक्षण संस्था



प्राथमिक शिक्षण संस्था: अन्धकार में शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए

प्राथमिक शिक्षण संस्था 111, 128 एलओआरएफए (राज)



14/05/22

उपखण्ड अधीक्षक (सिन्दरलाल बम्बाला)

14/05/22

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को संदे द्वारा लिखया जाकर सुनाया गया।

रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।

कमिश्नर से विधिवत पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित क्षमता होकर नम्बर से कम हो।
बशामतत पक्षकारान के कराये जावे। खर्चा राशि जमा होने पर तदहसीलदार रायपुर
500/- रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए
हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शिक्का 200/- रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस
सम्बन्धित प्र-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस
राजस्व खता संख्या 511 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु
के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे का रात की आराजी संख्या 1244 रकबा 0.86 हे० मी०
है कि ग्राम कर्मनिधा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बरून हल्का आबादी में प्रार्थी
अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता

आदेश

अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कार्गुनन स्वीकार योग्य नहीं है।
निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियत की पत्थरगढी कराना
प्रकार का कोई परिवर्तन होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार
कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी
करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई एवं विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध प्रार्थी अलिखता



रायपुर जिला सीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
(सिन्दरलाल बम्बोजा)
11/11/2022

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आरंजियात की पथरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 14.05.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आपकी आदेश दिया जाता है कि ग्राम कर्मनिधा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बरकन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदायी अधिकार एवं कब्जे काहत की आराजी संख्या 1244 रकबा 0.86 है 0 सीमें राजस्व खाला संख्या 511 पर दर्ज होकर स्थित है। इस हेतु प्रार्थी द्वारा पथरगढ़ी बालूक 200/- रूपये राजकोष में जमा एवं कर्मिनर फीस 500/- रूपये सम्बन्धित स-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पथरगढ़ी पक्षकारान की स्थिति करते हेतु बरमानलाल पक्षकारान के करायी जावे। मौके पर दौराने पथरगढ़ी अगर प्रार्थी की आरंजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजदी नबूझा एवं रेंस में लाल स्याही से दर्शाते हेतु पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करे।

प्रतिबत :- तहसीलदार रायपुर हुसनामा पथरगढ़ी कराने बाबत

प्रार्थना पत्र अंतर्गत द्वारा 11, 128 एल0आर0एक्ट

विपक्षीयता

1. अम्बालाल पिता श्रीराम जाट निवासी कर्मनिधा तहसील रायपुर जिला सीलवाड़ा
2. भवरलाल पिता श्रीराम जाट निवासी कर्मनिधा तहसील रायपुर जिला सीलवाड़ा
3. अम्बालाल पिता धीसा जाट निवासी कर्मनिधा तहसील रायपुर जिला सीलवाड़ा
4. गोपी पति जयसम जाट निवासी कर्मनिधा तहसील रायपुर जिला सीलवाड़ा
5. श्रीकलाल पिता मांगीलाल जाट निवासी कर्मनिधा तहसील रायपुर जिला सीलवाड़ा
6. मांगीलाल पिता जयसम जाट निवासी कर्मनिधा तहसील रायपुर जिला सीलवाड़ा
7. साहनलाल पिता जयसम जाट निवासी कर्मनिधा तहसील रायपुर जिला सीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जलिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला सीलवाड़ा

बनाम

प्रार्थी

1. निरधारी पिता श्रीकलाल बलाई निवासी बावलस तहसील माण्डल जिला सीलवाड़ा

अनवान

मुकदमा नम्बर:-6/2022 (157/2022) प्रार्थना पत्र
पीठस्थान अधिकारी:-सिन्दरलाल बम्बोजा, आ.र.प.स.
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला सीलवाड़ा (राज0)